

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

परिपत्र सं०- १४

/वसूली/एनपीएसेल/2017-18

दिनांक- 23-3-2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2017-18 (दि० 31.03.2018 तक) का एन.पी.ए. विवरण पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

वर्ष 2017-18 का आर्थिक चिट्ठा तैयार किये जाने हेतु प्रधान कार्यालय परिपत्र सं० सी- 83/लेखा/आर्थिक चिट्ठा/2017-18 दि० 29.01.18 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आर्थिक चिट्ठा तैयार किये जाने हेतु वर्ष 2017-18 के शाखाओं के श्रेणीवार एन.पी.ए. के विवरण पत्र की आवश्यकता है।

अतएव दि० 31.03.18 तक के समस्त ऋण खातों का पी.ए. अथवा एन.पी.ए. का श्रेणीवार चिन्हांकन करते हुए शाखा का एन.पी.ए. रजिस्टर तैयार कर लिया जाय। इस हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्र० का० परिपत्रांक सी-05/एनपीए सेल/2014-15 दि० 16.4.2014 द्वारा पूर्व में ही प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही एन.पी.ए. रजिस्टर तैयार किया जाये।


उपर्युक्तानुसार तैयार एन.पी.ए. रजिस्टर के आधार पर एन.पी.ए. का श्रेणीवार वर्गीकरण करके शाखास्तर पर एन.पी.ए. की श्रेणीवार सूचना संकलित किया जायेगा। यह ध्यान रहे कि पी.ए. (मानक श्रेणी) अथवा एन.पी.ए. का श्रेणीवार निर्धारण सम्बन्धित ऋण खातों की आउटस्टैन्डिंग मूलधन के आधार पर ही किया जायेगा, (एन.पी.ए. रजिस्टर के कालम नं० 9 के अनुसार) न कि शाखा की कुल लोन आउटस्टैन्डिंग के आधार पर।

विगत वर्षों में नाबार्ड एवं अन्य स्तरों द्वारा बैंक के निरीक्षण के दौरान शाखाओं द्वारा तैयार किये गये पीए/एनपीए खातों के वर्गीकरण/आगणन एवं तत्पश्चात तैयार किये गये विवरण पत्र के सम्बन्ध में आपत्तियाँ लगाई गई है जिसके सम्बन्ध में समय-समय पर आपको प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नाबार्ड के अनुपालन एवं परिपत्रों द्वारा एनपीए के श्रेणीवार सही-सही आगणन करने सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं, परन्तु कतिपय शाखाओं द्वारा अभी भी एनपीए विवरण पत्र सही-सही तैयार करने में चूक की जा रही है जिससे नाबार्ड एवं अन्य स्तरों पर बैंक की छवि धूमिल होती है। अतः आप द्वारा उक्त विवरण पत्र को विशेष सावधानीपूर्वक तथा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाय।

उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रेणीवार एन.पी.ए. विवरण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप 'अ' एवं 'ब' जो आपको पूर्व में परिपत्रांक सी-05/एनपीए सेल/2014-15 दिनांक 16.4.2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, पर तैयार कर एन.पी.ए. विवरण मण्डल स्तरीय शाखा पर दिनांक 24.4.2018 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा मण्डलस्तरीय प्रबन्धक द्वारा अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से प्राप्त श्रेणीवार एन.पी.ए. विवरण पत्रों को संकलित कर (केवल माइक्रोसाफ्ट एक्सेल शीट पर, मण्डल में कार्यरत


शाखाओं का MIS के क्रमानुसार) दिनांक 26.4.2018 तक मेल द्वारा वसूली अनुभाग की ईमेल आईडी **upsgvbrec@gmail.com** पर तथा मूलप्रति (संकलित एवं शाखास्तर से प्राप्त) दिनांक 27.04.2018 तक प्रधान कार्यालय के वसूली अनुभाग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-प्रारूप "अ" एवं "ब"


(के०पी० सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०/प्रशि०के० को इस आशय से कृपया वर्ष 2017-18 (दि० 31.3.2018 तक) का एन.पी.ए विवरण पत्र निर्धारित तिथि तक बनवाना, परीक्षण कराना तथा वसूली अनुभाग को प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, /प्रशि० केन्द्र, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.सेल) को शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु।


23.03.18
(आर०बी०गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (वसूली)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रारूप (अ)

वर्ष 2017-18 (दिनांक 31.03.2018 तक) का श्रेणीवार एन.पी.ए. का विवरण-पत्र

शाखा :

जनपद :

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	विवरण	कृषि क्षेत्र की योजनायें		अकृषि क्षेत्र की योजनायें		कुल योग	
		सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन	सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन	सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मानक						
2	उपमानक						
3	संदिग्ध-1						
4	संदिग्ध-2						
5	संदिग्ध-3						
6	घाटे की आस्तियां						
	योग						

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा आंकिक

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा प्रबन्धक-
मुहर

- नोट : (1) प्रारूप 'अ' के कॉलम नं० -8 का योग+शाखा का आई.एन.सी. ब्याज+पी.ए. खातों का ब्याज = शाखा की कुल आउटस्टैंडिंग (जनरल लेजर के अनुसार) होनी चाहिये।
- (2) जिन शाखाओं पर हानिप्रद आस्तियां दर्शायी गयी है। उन शाखाओं द्वारा प्रारूप 'ब' पर विवरण प्रेषित करना अनिवार्य है।
- (3) यह सूचना जनपद एवं मंडलीय शाखा स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा माइक्रोसाफ्ट एक्सेल शीट पर अनिवार्य रूप से संकलित कर EMail द्वारा प्रेषित की जाये।

प्रारूप (ब)
घाटे की आस्तियों का वार्षिक विवरण-पत्र

शाखा :

जनपद :

(धनराशि लाख में)

क्रम	विवरण	बकायेदारों की संख्या	दिनांक 31.03.18 को इन बकायेदारों पर लगा हुआ कुल ऋण (Total Loan Outstanding)	दिनांक 31.03.18 को इन बकायेदारों पर लगा हुआ कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन (Outstanding Principal)
1	2	3	4	5
1	ऋण के जिन मामलों में किसी न्यायालय द्वारा बैंक के विरुद्ध डिक्री हो गयी हो एवं अन्य कोई सबूत न हो, जिसके अनुसार दावा किया जा सके।			
2	ऋण के जिन मामलों में ऋणी सदस्य एवं उसके प्रतिभू दीवालिया घोषित हो गये हों अथवा मृतक की दशा में कोई भी सम्पत्ति न हो।			
3	ऋणी सदस्य अपना निवास स्थान एवं कोई भी सम्पत्ति न छोड़कर कहीं चला गया हो तथा उसके प्रतिभू से वसूली का कोई भी स्रोत न हो।			
4	ऋण का जहाँ दुरुपयोग हुआ हो या ऋण जो फिक्टिस है।			
5	ऋण से निर्मित सम्पत्ति बिल्कुल नष्ट हो गयी हो और ऋण की अदायगी के लिये कोई अन्य सम्पत्ति न हो।			
6	ऋण के जिन मामलों में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का टाइटिल ही त्रुटिपूर्ण हो।			
7	जिन मामलों में ऋण अदायगी करने का दायित्व विवादास्पद हो।			
8	बैंक के ऋण से क्रीत/निर्मित प्रोजेक्ट निष्फल हो गये हो और सब्सिडी या राहत की धनराशि पर्याप्त न हो।			
	योग			

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा आंकिक
मुहर

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा प्रबन्धक-
मुहर